

3

अपील क्रमांक 231/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़

शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक /06/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 231/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी

श्री रतन प्यासा (रतन कुमार),
सिंधी कालोनी चांपा,
जिला : जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
पिन को. 495671

विरुद्ध

उत्तरवादी

श्री रविकांत साहू
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 27.06.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री रतन प्यासा द्वारा दिनांक 11.06.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई, आज दिनांक 27.06.2025 को कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) तथा अपीलार्थी उपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत "हसदेव जल प्रबंध संभाग जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत आने वाले अनुभागों में अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ अनुसूचित जनजाति (इसाई धर्म) से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अपने नियुक्ति काल में (भर्ती के समय) प्रस्तुत किये गये तकनीकी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं हितग्राही आदिवासी (इसाई) अधिकारी को प्रशासन द्वारा दिये गये नियुक्ति पत्र की प्रमाणित छायाप्रति" प्रदाय किये जाने हेतु दिनांक 05.05.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया था। किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा उनके आवेदन को हसदेव जल प्रबंध संभाग जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा भेजकर Mind game खेलने का प्रयास किये जाने के कारण असंतुष्ट होकर दिनांक 11.06.2025 को प्रेषित प्रथम अपील आवेदन, दिनांक 13.06.2025 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 27.06.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित की गयी। सुनवाई में उपस्थित होने बाबत अपीलार्थी को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 27.06.2025 को अपीलार्थी ने उपस्थित होकर अपनी अपील के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा अपने तर्क एवं अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा मेरे आवेदन को हसदेव जल प्रबंध संभाग जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा भेजकर Mind game खेलने का प्रयास किये जाने का लेख करते हुये असंतुष्ट होकर प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है। वांछित जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा दिलायी जानी चाहिये।

4. जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 27.06.2025 को सुनवाई में उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.05.2025 को प्रेषित आवेदन पत्र जनसूचना अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को आवक क्रं. 634 दिनांक 08.05.2025 के माध्यम से प्राप्त हुआ। अपीलार्थी के आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि वांछित जानकारी संभागीय कार्यालय कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर से प्राप्त की जा सकेगी। उक्त अंकित टीप अनुसार आवेदन पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर (छ.ग.) को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4112275/146/छ.ग./2025/4107, दिनांक 09.05.2025 द्वारा मूलतः हस्तांतरित किया गया।

5. अपील के निराकरण हेतु यह तथ्य पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर (छ.ग.) को हस्तांतरित किया जाना अधिनियम 2005 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी परिपत्रों के अनुरूप है? आवेदक ने अपने आवेदन में "हसदेव जल प्रबंध संभाग जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत आने वाले अनुभागों में अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ अनुसूचित जनजाति (इसाई धर्म) से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अपने नियुक्ति काल में (भर्ती के समय) प्रस्तुत किये गये तकनीकी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं हितग्राही आदिवासी (इसाई) अधिकारी को प्रशासन द्वारा दिये गये नियुक्ति पत्र की प्रमाणित छायाप्रति" से संबंधित दस्तावेज की मांग की थी। अपीलार्थी ने अपने आवेदन में किसी शासकीय सेवक के नाम का उल्लेख नहीं करते हुये शासकीय सेवक के व्यक्तिगत दस्तावेज की मांग की थी। जल संसाधन विभाग के अधीन हसदेव नहर जल प्रबंध

संभाग जांजगीर के अंतर्गत आने वाले अनुविभागों में पदस्थ शासकीय सेवकों की व्यक्तिगत नस्ती उस संभागीय कार्यालय में संधारित होती है। ऐसे दस्तावेज लोक प्राधिकारी के रूप में इस कार्यालय में धारित नहीं किये जाते हैं। तत्संबंध में भारत सरकार नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली के मार्गदर्शी परपत्र क्रं. सं. 10/2/2008-आई.आर. नई दिल्ली दिनांक 12.06.2008 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसे आवेदनों का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से संबंध सूचना मांगी गयी हो, के माध्यम से जारी मार्गदर्शन की कंडिका 3 (iii) का उद्धरण निम्नानुसार है :-

- 3 (iii) कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है। ऐसी स्थिति में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकारियों को अलग-अलग आवेदन करे। यदि मांगी गई सूचना का कोई हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना के अलग-अलग हिस्से एक से अधिक दूसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है, तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिए कि उस लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन दें। स्मरणीय है कि अधिनियम के अंतर्गत वही सूचना देना अपेक्षित है, जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग-अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना सृजन माना जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामले में सूचना का संबंध किसी 'लोक प्राधिकरण विशेष' से नहीं होता, इसलिए अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरित किए जाने का मामला नहीं बनता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उप-धारा (3) में 'दूसरे लोक प्राधिकरण' का संदर्भ एकवचन में है न कि बहुवचन में।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी कार्यालय से संबंधित न होकर अन्य लोक प्राधिकारी हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर, जिला : जांजगीर-चांपा से संबंधित है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली के मार्गदर्शी परपत्र क्रं. सं. 10/2/2008-आई.आर. नई दिल्ली दिनांक 12.06.2008 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका अनुसार जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर (छ.ग.) को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4112275/146/छ.ग./2025/4107, दिनांक 09.05.2025 द्वारा मूलतः हस्तांतरित किया जाना, अधिनियम के प्रावधानों अनुरूप विधिसम्मत है।

6. अपीलार्थी के आवेदन में वांछित किसी शासकीय सेवक से संबंधित तकनीकी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आता है। तत्संबंध में अधिनियम की धारा 8 (1) (अ) का उद्धरण निम्नानुसार है :-

8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी -

(अ) सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

अतः अधिनियम की उक्त धारा 8 (1) (अ) के तहत किसी शासकीय सेवक से संबंधित तकनीकी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा “केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी बनाम सुभाषचंद्र अग्रवाल 2020 5 SCC 481” के पैरा 59 में व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में निम्न निर्णय पारित किया है :-

[59] Reading of the aforesaid judicial precedents, in our opinion, would indicate that personal records, including name, address, physical, mental and psychological status, marks obtained, grades and answer sheets, are all treated as personal information. Similarly, professional records, including qualification, performance, evaluation reports, ACRs, disciplinary proceedings, etc. are all personal information. Medical records, treatment, choice of medicine, list of hospitals and doctors visited, findings recorded, including that of the family members, information relating to assets, liabilities, income tax returns, details of investments, lending and borrowing, etc. are personal information. Such personal information is entitled to protection from unwarranted invasion of privacy and conditional access is available when stipulation of larger public interest is satisfied. This list is indicative and not exhaustive.

इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई किसी शासकीय सेवक से संबंधित तकनीकी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण अधिनियम की धारा 8 (1) (ज) के तहत छूट की श्रेणी में आते हैं। किन्तु अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी का एक भाग शासकीय अधिकारी के नियुक्ति आदेश की प्रति लोक दस्तावेज होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान किया जाना चाहिये, जो कि इस कार्यालय में सधारित नहीं है।

7. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर, अपील प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:—

उत्तरवादी पक्ष अर्थात् जन सूचना अधिकारी द्वारा, अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर (छ.ग.) को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4112275/146/छ.ग./2025/4107, दिनांक 09.05.2025 द्वारा मूलतः हस्तांतरित किया जाना, अधिनियम 2005 के प्रावधानों एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी परिपत्रों के अनुरूप विधिसम्मत है।

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण निराकृत किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।



(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./231/बो.प्र./नि.स./2025/ 6209

नवा रायपुर, दिनांक 27/6/2025

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता (एम.आई.एस.), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI Section) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री रतन प्यासा (रतन कुमार), सिंधी कालोनी चांपा, जिला : जांजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन कोड 495671 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)